रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 198] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 26, 2007/वैशाख 6, 1929
No. 198] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 26, 2007/VAISAKHA 6, 1929

XXI

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2007

सा.का.नि. 311(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 198 के साथ पठित धारा 60 की उप-धारा (2) के खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रेल (चालित लाइन) साधारण नियम, 1976 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय रेल (चालित लाइन) साधारण (संशोधन) नियम, 2007 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय रेल (चालित लाइन) साधारण नियम, 1976, में नियम 4.31 के लिए निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"**4.31 प्रस्थान करने से पूर्व गाड़ियों की जांच.**—जब किसी स्टेशन पर गाड़ी परीक्षक द्वारा गाड़ी की जांच की जाती है तो स्टेशन मास्टर तब तक गाड़ी के प्रस्थान की अनुमति नहीं देगा जब तक उसे उस परीक्षक से यह रिपोर्ट नहीं मिल जाती कि गाड़ी प्रस्थान करने योग्य है और उसमें निर्धारित ब्रेक पावर है यदि किसी गाड़ी की गाड़ी परीक्षक द्वारा किसी स्टेशन पर जांच नहीं की जाती और इस गाड़ी का वैध ब्रेक पावर प्रमाण-पत्र भी नहीं है तो स्टेशन मास्टर इस गाड़ी के प्रस्थान की तब तक अनुमति नहीं देगा, जब तक उसे गार्ड-लोको पायलट की संयुक्त जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो जाती कि गाड़ी प्रस्थान करने योग्य है और उसमें निर्धारित ब्रेक पावर है ।"।

[फा. सं. 2000/संरक्षा (ए एंड आर)/19/35]

वी. एन. माथुर, सदस्य यातायात तथा पदेन सचिव

पाद टिप्पणी : 1976 के मूल नियम, भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 445(अ) तारीख 21 जुलाई, 1981 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उनमें निम्नलिखित अधिसूचना के द्वारा संशोधन किए गए :—

(1) सा.का.नि. 320, तारीख 16 अप्रैल, 1983,

(2) सा.का.नि. 352, तारीख 30 अप्रैल, 1983,

(3) सा.का.नि. 514(अ), तारीख 27 जून, 1983,

(4) सा.का.नि. 476(अ), तारीख 28 जून, 1984,

(5) सा.का.नि. 245, तारीख 23 मई, 1992,

(6) सा.का.नि. 83, तारीख 17 फरवरी, 1996,

(7) सा.का.नि. 101, तारीख 23 मई, 1998

(8) सा.का.नि. 47, तारीख 13 फरवरी, 1999,

(9) सा.का.नि. 213(अ), तारीख 18 मार्च, 1999,

(10) सा.का.नि. 283, तारीख 26 अप्रैल, 1999,

(11) सा.का.नि. 581(अ), तारीख 3 जुलाई, 2000,

(12) सा.का.नि. 708(अ), तारीख 6 सितंबर, 2000,

(13) सा.का.नि. 852(अ), तारीख 8 नवंबर, 2000,

(14) सा.का.नि. 893(अ), तारीख 24 नवंबर, 2000,

(15) सा.का.नि. 913(अ), तारीख 12 दिसंबर, 2000,

(16) सा.का.नि. 394(अ), तारीख 31 मई, 2002,

(17) सा.का.नि. 842(अ), तारीख 27 दिसंबर, 2002,

(18) सा.का.नि. 221(अ), तारीख 19 अप्रैल, 2006,

(19) सा.का.नि. 476(अ), तारीख 11 अगस्त, 2006, और

(20) सा.का.नि. 477(अ), तारीख 11 अगस्त, 2006 ।

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th April, 2007

G.S.R. 311(E).—In exercise of the powers conferred by Clause (g) of Sub-section (2) of Section 60, read with section 198 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Railways (Open Lines) General Rules, 1976, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Railways (Open Lines) General (Amendment) Rules, 2007.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Railways (Open Lines) General Rules, 1976 for rule 4.31, the following shall be substituted namely :—

"4.31. Examination of trains before starting.— When a train is examined by a Train Examiner at a station, the Station Master shall not give permission to start the train until he has received a report from such examiner to the effect that the train is fit to proceed and has the prescribed brake power. In case a train is not examined by the train examiner at a station and it is without a valid brake power certificate, the station master shall not give permission to start the train until he has received a Guard-Loco Pilot Joint Check Report that the train is fit to proceed and has the prescribed brake power.".

[F. No. 2000/Safety (A&R)/19/35]

V. N. MATHUR, Member Traffic and *ex-officio* Secy.

Foot Note : The principal rules of 1976 were published *vide* number G.S.R. 445(E), dated the 21st July, 1981 and subsequently amended *vide* number :

(1) G.S.R. 320, dated the 16th April, 1983,

(2) G.S.R. 352, dated the 30th April, 1983,

(3) G.S.R. 514(E), dated the 27th June, 1983,

(4) G.S.R. 476(E), dated the 28th June, 1984,

(5) G.S.R. 245, dated the 23rd May, 1992,

(6) G.S.R. 83, dated the 17th February, 1996,

(7) G.S.R. 101, dated the 23rd May, 1998,

(8) G.S.R. 47, dated the 13th February, 1999,

(9) G.S.R. 213 (E), dated the 18th March, 1999,

(10) G.S.R. 283(E), dated the 26th April, 1999,

(11) G.S.R. 581 (E), dated the 3rd July, 2000,

(12) G.S.R. 708(E), dated the 6th September, 2000,

(13) G.S.R. 852(E), dated the 8th November, 2000,

(14) G.S.R. 893(E), dated the 24th November, 2000,

(15) G.S.R. 913(E), dated the 12th December, 2000,

(16) G.S.R. 394(E), dated the 31st May, 2002,

(17) G.S.R. 842(E), dated the 27th December, 2002,

(18) G.S.R. 221 (E), dated the 19th April, 2006,

(19) G.S.R. 476(E) dated the 11th August 2006, and

(20) G.S.R. 477(E) dated the 11th August 2006.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.